

प्रदेश के एक लाख किसानों को तारबंदी के लिये मल्लिगा अनुदान

चर्चा में क्यों?

22 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नरिशरति पशुओं से फसलों को बचाने के लिये प्रदेश के एक लाख किसानों को 4 करोड़ मीटर के तारबंदी के हेतु 444.40 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

प्रमुख बडि

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान फसल सुरक्षा मशिन के तहत समस्त लंबति प्रार्थना पत्रों को दो वर्षों में नसितारति करने की दृष्टि से सहमति दी है।
- उन्होंने अनुसूचति जनजात क्षेत्रों के किसानों की जोत का आकार कम होने के कारण तारबंदी के लिये न्यूनतम सीमा 0.50 हैक्टेयर कयि जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है।
- तारबंदी में सामुदायिक भागीदारी पर अब पहले से अधिक अनुदान मल्लिगा। इसमें 10 या अधिक किसानों के समूह को न्यूनतम 5 हैक्टेयर में तारबंदी के लिये अनुदान राश 70 प्रतिशत की गई है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में तारबंदी पर अनुदान में करीब 444.40 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इनमें 391 करोड़ रुपए कृषक कल्याण कोष से, 25 करोड़ रुपए राज्य योजना 'तारबंदी द्वारा फसल सुरक्षा हेतु अनुदान' से वहन होंगे। शेष 28.40 करोड़ रुपए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मशिन से (राज्यांश 11.36 करोड़ रुपए) खर्च कयि जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में राजस्थान फसल सुरक्षा मशिन के अंतर्गत तारबंदी को नरितर जारी रखने की घोषणा की गई थी।